

**न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रकरण.क.—80 / 2008
संस्थित दिनांक—08.02.2008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — अभियोजन
// विरुद्ध //

नंदकिशोर पिता कौशल प्रसाद गौतम, उम्र—28 वर्ष,
निवासी—दलदला, आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—25 / 11 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—02.02.2008 को प्रातः 9:00 बजे ग्राम उकवा थाना रूपझर के अंतर्गत शासन के आधिपत्य की मैगनीज लगभग एक फर्मा कुल कीमत 3000 /— (तीन हजार रुपये) को बिना उसकी सम्मति से बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—02.02.2008 को प्रातः 9:00 बजे को नायब तहसीलदार बैहर के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम गोंदी थाना रूपझर में आरोपी को अवैध रूप से मैगनीज उत्खन्न कर परिवहन करते हुये पकड़ा गया तथा आरोपी से उक्त मैगनीज परिवहन करने के संबंध में दस्तावेज मांगे जाने पर पेश नहीं किया गया। नायब तहसीलदार बैहर द्वारा उक्त ट्रेक्टर को मैगनीज सहित मौके पर जप्त किया गया तथा उक्त के संबंध में आरक्षी केन्द्र रूपझर में लिखित आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया। उक्त आवेदन के आधार पर आरक्षी केन्द्र रूपझर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—17 / 2008 धारा—379 भा.दं.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया, ट्रेक्टर मैगनीज सहित जप्त कर खनिज निरीक्षक से परीक्षण कराया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

3— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म करना अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी के द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-02.02.2008 को प्रातः 9:00 बजे ग्राम उकवा थाना रूपझर के अंतर्गत शासन के आधिपत्य की मैगनीज लगभग एक फर्मा कुल कीमत 3000/- तीन हजार रुपये को बिना उसकी सम्मति से बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— नायब तहसीलदार कमलचंद सिंह (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-02.02.2008 को तहसील बैहर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह ग्राम गोंदी के क्षेत्र भ्रमण था, जहां प्रातः 9 बजे आरोपी से एक ट्रेक्टर ट्राली, जो कि बिना नम्बर की थी में एक फरमा खनिज मैगनीज सहित रखकर परिवहन कर रहा था। उसके द्वारा मौके पर ट्रेक्टर चालक को रोककर पूछने पर अपना नाम नंदकिशोर गौतम निवासी दलदला होना बताया था। खनिज परिवहन संबंधी दस्तावेज पूछने व मांगने पर उसके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। पटवारी दुरुगसिंह तेकाम के द्वारा खनिज के संबंध में जांच की जाने पर उक्त खनिज अवैध परिवहन किया जाना पाया गया, जिसकी सूचना प्रदर्श पी-8 के माध्यम से थाना प्रभारी रूपझर को दी गई, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके से ही उक्त दिनांक को ट्रेक्टर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-9 तैयार किया तथा उसके संबंध में थाना प्रभारी रूपझर को तत्काल लिखित सूचना प्रदर्श पी-3 दी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा थाना रूपझर को ट्रेक्टर ट्राली सहित एक फरमा खनिज मैगनीज सौंपा गया था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती के समय आरोपी नहीं था। साक्षी का स्वतः कथन है कि वह अपना नाम बताकर दस्तावेज लाने चला गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने मैगनीज की पहचान करने बाबत कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि उक्त क्षेत्र में मैगनीज पाया जाता है और उसने अपने अनुभव के आधार पर मैगनीज होना पाया था। साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में भी आरोपी की पहचान नहीं की है, बल्कि मौके पर ट्रेक्टर चालक का नाम पूछे जाने पर नंदकिशोर गौतम बताया जाना प्रकट किया है।

इस प्रकार यदि मौके पर नंदकिशोर गौतम नामक व्यक्ति उक्त ट्रेक्टर का चालन कर रहा था, तब मौके पर से उसके भागने के पश्चात् पुलिस द्वारा उसकी शिनाख्ती कार्यवाही किये जाने का तथ्य अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी की पहचान कथित अपराध कारित करने वाले व्यक्ति के रूप में अपने न्यायालयीन कथन में नहीं की है।

7— नायब तहसीलदार कमलचंद सिंग (अ.सा.6) ने जप्तशुदा मैगनीज को केवल अनुभव के आधार पर पहचान किया जाना प्रकट किया है, जबकि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में मैगनीज किस ग्रेड का था, बता पाने में असमर्थता व्यक्त की है। ऐसी दशा में जप्तशुदा मैगनीज को सक्षम खनिज अधिकारी या अन्य विशेषज्ञ से जांच कराने के संबंध में नायब तहसीलदार के रूप में तत्काल पहल की जानी थी, किन्तु मामले में जप्तशुदा कथित मैगनीज की जांच थाना प्रभारी के द्वारा कराया जाना प्रकट होता है। इस संबंध में यह विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि मौके पर जप्तशुदा मैगनीज ही खनिज निरीक्षक के द्वारा जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त की गई थी।

8— कथित जप्तशुदा मैगनीज का परीक्षण करने वाले साक्षी मनोज मसराम (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह वर्ष 2008 में खनिज शाखा बालाघाट में खनिज निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे थाना रूपझर से जप्तशुदा मैगनीज का परीक्षण करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर उसके द्वारा उक्त मैगनीज का परीक्षण किया गया था। परीक्षण करने पर उसने लो ग्रेड की श्रेणी का मैगनीज होना पाया था, वह पदार्थ मैगनीज के रूप में था। उक्त मैगनीज परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने मौके पर जाकर मैगनीज का परीक्षण नहीं किया है, बल्कि पुलिस के द्वारा पेश करने पर टुकड़ों का परीक्षण कर रिपोर्ट पेश किया है। इस प्रकार इस साक्षी के कथन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने मौके पर जप्तशुदा मैगनीज का परीक्षण नहीं किया था।

9— पटवारी दुरगुसिंह (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना 2 वर्ष पूर्व सुबह करीब 6-7 बजे ग्राम गोंदी के जंगल की है। घटना के समय वह नायब तहसीलदार सिंग साहब के साथ सर्चिंग पर गया था। उन्हें सूचना मिली थी कि उक्त जंगल से अवैध रूप से मैगनीज का परिवहन होता है। जब वे घटना स्थल पर गये थे ट्रेक्टर का ड्रायवर तथा मजदूर मैगनीज भर रहे थे, उन्हें देखकर मजदूर भाग गये थे तथा आरोपी नंदकिशोर चला गया था। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना रूपझर में की गई थी, प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अवैध मैगनीज परिवहन करने

के संबंध में नायब तहसीलदार बैहर द्वारा थाना प्रभारी रूपझर को उक्त ट्रेक्टर जप्त करने एक आवेदन दिया गया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी से दस्तावेज मांगे जाने पर उसने दस्तावेज पेश नहीं किया था तथा वह मैगनीज किस लिये ले जाया जा रहा था, नहीं बताया था। उसके सामने आरोपी से एक ट्रेक्टर मैगनीज सहित जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

10— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर को समय 6:30 से 7:00 बजे के बीच रोका गया था तथा यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त कार्यवाही का समय 9:00 बजे लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने मैगनीज खोदते हुये नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने मैगनीज पहचानने के लिये कोई प्रशिक्षण नहीं लिया तथा वह यह भी नहीं बता सकता कि एक किलो के पत्थर में मैगनीज की कितनी मात्रा होती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 में यह नहीं बताया था कि आरोपी कागजात पूछने पर भाग गया था, यदि उसके कथन में ऐसा लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर जप्त कर थाने में लाये थे। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि सम्पूर्ण कार्यवाही थाने में की गई है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण साक्षी ने आरोपी के द्वारा मैगनीज खोदते हुये नहीं देखने, सम्पूर्ण कार्यवाही थाने में किये जाने के तथ्यों को पेश किया है, जिससे अभियोजन मामले के विरुद्ध विरोधाभासी तथ्य प्रकट होते हैं। साक्षी ने कथित जप्तशुदा मैगनीज की पहचान का आधार भी नहीं प्रकट किया है। इस साक्षी के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी नायब तहसीलदार सिंग की ओर से की गई कार्यवाही का समर्थन करने का प्रयास किया गया है, किन्तु अभियोजन मामले के अनुसार मौके पर की गई कार्यवाही के विपरीत सम्पूर्ण कार्यवाही थाने में पूर्ण करने के तथ्य पेश करते हुये घटना के समय में भी लगभग दो घण्टे के अंतर को प्रकट किया है, जिसका स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है।

11— लक्की (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना 2008 को सुबह 8-9 बजे जगनटोला गोंदी की है, तहसीलदार साहब ने ट्रेक्टर रोका था और फिर उसकी तलाशी लिये थे, तलाशी करने पर उन्होंने ट्रेक्टर में मैगनीज रखा पाया था। तहसीलदार द्वारा चालक का नाम पूछ गया था, जिसने अपना नाम नंदकिशोर बताया था। साक्षी का आगे यह कथन है कि उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस ने उसके बयान लिये थे या नहीं। उसने मैगनीज ले जाने के संबंध में कोई कागज वगैरह नहीं देखे थे। उसे मालूम नहीं है कि कोई जप्ती हुई थी या नहीं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने ट्राली में मैगनीज रखा है या नहीं, नहीं देखा था।

साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने पटवारी और तहसीलदार ने कोई जप्ती नहीं की थी। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

12— नारायण मानेश्वर (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। लगभग 2 वर्ष पूर्व वह नायब तहसीलदार सिंग साहब के साथ थाना रूपझर गया था, उस समय पुलिस ने उससे कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने कहा था, जिस पर उसने हस्ताक्षर किया था। पुलिस ने उससे जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर हस्ताक्षर करते समय बताया थी कि ट्रेक्टर जप्ती के संबंध में है, जो आपके अधिकारी द्वारा जप्त किया गया था। जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने नायब तहसीलदार ने ट्रेक्टर रोककर चैक किया था, जिसमें एक फरमा मैगनीज मिला था और उक्त ट्रेक्टर के ड्रायवर ने अपना नाम नंदकिशोर बताया था। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से इंकार किया है तथा पुलिस द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही उसके सामने किये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी का स्वतः कथन है कि पुलिस ने उससे कोरे पंचनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। इस प्रकार साक्षी ने किसी भी प्रकार से अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

13— सहायक उपनिरीक्षक महेश कुमार (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-04.02.2008 को थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी दुरगुसिंह तेकाम प.ह.नं. 26 ग्राम उकवा द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र ट्रेक्टर ट्राली में मैगनीज रखकर परिवहन करते पाये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर उसके द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेखबद्ध किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी दुरगुसिंह तेकाम की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही नायब तहसीलदार बैहर द्वारा ट्रेक्टर माडल नम्बर 312 इंजन नम्बर 513628845719, चेचिस नम्बर 913611799776 को थाना लाया गया था, जिस थाना परिसर के अंदर जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-06.02.2008 को आरोपी नंदकिशोर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा नायब तहसीलदार कमलसिंह, लक्की, नारायण मानेश्वर, दुरगुसिंह तेकाम, खेमराज चौधरी के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा जप्तशुदा मैगनीज परीक्षण

हेतु खनिज निरीक्षक बालाघाट को दिनांक-06.02.2008 को लेख किया गया था।

14- उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त ट्रेक्टर की जप्ती थाने से की गई थी, घटना स्थल से नहीं की गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि खनिज अधिकारी को परीक्षण हेतु प्रतिवेदन भेजा गया था, तो उसने थाने में आकर परीक्षण किया था। जबकि खनिज निरीक्षक मनोज मसराम (अ.सा.5) का यह कथन है कि उसने केवल टुकड़ों का परीक्षण कर रिपोर्ट पेश किया है। इस साक्षी के द्वारा अपने कथन में यह प्रकट नहीं किया गया है कि थाने में रखा गया कथित मैगनीज कितनी मात्रा में और किस प्रकार रखा हुआ था। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता और खनिज निरीक्षक की साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि कथित पदार्थ के परीक्षण हेतु मात्र औपचारिक कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। वास्तव में कथित पदार्थ की जांच हेतु मौके पर ही जप्ती किये जाने अथवा थाने पर जप्ती किये जाने के समय एक सैम्पल जांच हेतु निकाला जाना चाहिये था और उसका पृथक से जप्ती कर उसे सील बंद अवस्था में जांच हेतु भेजा जाना था। इस प्रकार मामले में न तो जप्तशुदा पदार्थ को सील बंद किया गया और न ही ऐसे सील बंद पदार्थ की जांच कराया जाना प्रकट किया गया है।

15- अभियोजन की ओर से एकमात्र साक्षी पटवारी दुखुसिंह (अ.सा.2) ने ही आरोपी की पहचान कथित जप्तशुदा पदार्थ वाले ट्रेक्टर के चालक के रूप में की है, किन्तु इस साक्षी ने भी केवल अनुमान के आधार पर अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि आरोपी के द्वारा कथित मैगनीज का परिवहन किया जा रहा था, जबकि मैगनीज पहचान किये जाने के संबंध में कोई विशेषज्ञता हासिल होना साक्षी ने प्रकट नहीं किया है तथा मौके पर जप्त कथित मैगनीज की पहचान का आधार भी पेश नहीं किया है। अन्य साक्षी नायब तहसीलदार नायब तहसीलदार कमलचंद सिंह (अ.सा.6) ने भी मौके पर जप्त कथित मैगनीज की पहचान किये जाने का आधार प्रकट नहीं किया है।

16- मामले में आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध हेतु ठोस साक्ष्य का अभाव है तथा अभियोजन की ओर से जो पारिस्थितिक साक्ष्य पेश की गई है, वह निश्चायक प्रकृति की नहीं है। आरोपी के द्वारा घटना के समय ट्रेक्टर में कथित मैगनीज का परिवहन किये जाने के प्रमाण हेतु मुख्य रूप से जप्तशुदा पदार्थ को मैगनीज के रूप में परीक्षण कराये जाने की प्रक्रिया संदेहास्पद है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि मामले में जप्तशुदा मैगनीज का ही परीक्षण किया गया था और उक्त पदार्थ ही जांच कर उसे मैगनीज होना पाया गया था। इस प्रकार आरोपी के द्वारा परिवहन किये जा रहे पदार्थ को मैगनीज पदार्थ के रूप में अभियोजन ने साबित नहीं किया है। मामले में जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रकट होती है, वह इस प्रकृति की नहीं है कि उसके आधार पर केवल आरोपी को ही दोषसिद्ध ठहराती हो और उनकी निर्दोषिता की कोई गुंजाइश

न हो। उक्त परिस्थिति में आरोपी के विरुद्ध धारा-114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ऐसी उपधारणा नहीं की जा सकती कि कथित मैगनीज को आरोपी के कब्जे से पाये जाने पर आरोपी ने कथित चोरी की। मामले में प्रक्रियात्मक त्रुटि का लाभ आरोपी को प्राप्त होता है तथा अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला युक्ति-युक्त संदेह प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

17— प्रकरण में सम्पूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में शासन के आधिपत्य की मैगनीज लगभग एक फर्मा कुल कीमत 3000/- तीन हजार रुपये को बिना उसकी सम्मति से बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

18— आरोपी के जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

19— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50ए/0815 व ट्राली क्रमांक-एम.पी.50ए/0816 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार खेमराज चौधरी पिता मयाराम चौधरी की ओर से आम मुख्तयार दुलीचंद चौधरी पिता मयाराम चौधरी को सुपुर्दनामा पर किया गया है, अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे तथा प्रकरण में जप्तशुदा एक फरमा मैगनीज थाना रुपझर में रखा है, जिसे अपील अवधि पश्चात् खनिज अधिकारी बालाघाट को प्रदान किया जावे। अपील होने की दशा में उक्त संपत्ति के संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट